रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04112020-222943
CG-DL-E-04112020-222943

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 562] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 3, 2020/कार्तिक 12, 1942
No. 562] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 3, 2020/KARTIKA 12, 1942

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2020

सा.का.नि. 686(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और जहां तक संयुक्त निदेशक (भवन) के उनके पद से संबंध है, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2009 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में निदेशक (भवन) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, निदेशक (भवन) भर्ती नियम, 2020 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विर्निदिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.—**वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की हैं; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की हैं ,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	**पद संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर।**	**चयन या अचयन पद।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।-**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
निदेशक (भवन)	1* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स (123100-215900 रु.) में स्तर-13	चयन।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स (78800-209200 रु.) में स्तर-12 में संयुक्त निदेशक (भवन) जिन्होंने पांच वर्ष की अनुमोदित सेवा की हो, जिसमें श्रेणी में चार वर्ष की नियमित और निरंतर सेवा सम्मिलित होना चाहिए। **टिप्पण 1**: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2:** भर्ती के वर्ष के पहले दिन को रेजीडेंसी अवधि के रूप में उस श्रेणी में की गई अनुमोदित सेवा की प्रोन्नति के लिए गणना की जाएगी। ज्येष्ठता के लिए अनुमोदित सेवा, भर्ती की प्रोन्नति पद्यति ऐसे अधिकारी के संबंध में होगी जो निचली श्रेणी में सेवा की अवधि के आधार पर उस श्रेणी में भर्ती किया गया है, उस श्रेणी में की गई नियमित सेवा की अवधि या अवधियां जिनमें अनुपस्थिति की वह अवधि या अवधियां भी सम्मिलित हैं जिनके दौरान उसने नियमित आधार पर उस श्रेणी में पद धारण किया होता यदि वह छुट्टी पर नहीं होता या भर्ती वर्ष जिसके लिए भर्ती की गई थी, के प्रथम दिन से ऐसे पद को धारण करने के लिए अन्यथा उपलब्ध न होता। परन्तु, जहां नियुक्त किए जाने पर कार्यभार ग्रहण करने में नब्बे दिनों से अधिक का विलंब हो, वह विलंब अधिकारी की और से व्यतिक्रम के कारण नहीं होना चाहिए।	**समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-** 1. सचिव, भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - अध्यक्ष; 2. अपर सचिव (कार्मिक) अथवा संयुक्त सचिव (कार्मिक), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - सदस्य; 3. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भिन्न मंत्रालय या विभाग या संगठन से भारत सरकार का संयुक्त सचिव या समतुल्य - सदस्य;	लागू नहीं होता।

शैक्षिक अर्हताएं: **आवश्यक:** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल या वैद्युत इंजीनियरिंग में डिग्री या समतुल्य के साथ रिहायसी या गैर-रिहायसी भवनों के संनिर्माण और अनुरक्षण में अनुभव, जिसमें डिजाइनिंग, आकलन, संविदा पर्यवेक्षण आदि भी हैं, का दस वर्ष अनुभव। **वांछनीय:** वातानुकूलन प्रणाली, लिफ्टों या आंतरिक सज्जा या आर्किटेक्च र या वैद्युत संस्थापनों जिसमें उपस्टेशन भी हैं, अनुरक्षण या रखरखाव का अनुभव ।		

[फा. सं. 2(2)/2020-का.III]

राजीव कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd November, 2020

G.S.R. 686(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Information Technology (Group 'A' post) Recruitment Rules, 2009 in so far as they relate to the post of Joint Director (Building) except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director (Building) in the Ministry of Electronics and Information Technology, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Electronics and Information Technology, Director (Building) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.**—The number of post, its classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward

Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age limit for direct recruitment.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
Director (Building).	*01(2020) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A', Gazetted, Ministerial.	Level-13 in the pay matrix Rs. 123100-215900.	Selection.	Not Applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	**Whether age and other educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotes.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by methods.**
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(11)	**(12)**	**(13)**
Promotion: Joint Director (Building) in level-12 in the pay matrix (Rs. 78800-209200) who have rendered five years approved service which should include four years of regular and continuous service in the grade. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2:** The approved service rendered in the grade, on the 1st day of the Recruitment Year, as the residency period will be counted for	**Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :** 1.The Secretary to the Government of India, Ministry of Electronics and Information Technology - Chairman; 2. Additional Secretary (Personnel) or Joint Secretary (Personnel), Ministry of Electronics and Information Technology - Member; 3. The Joint Secretary or equivalent to the Government of India from Ministry or Department or Organisation other than Ministry of Electronics and Information Technology - Member.	Not applicable.

promotion. Approved Service for seniority promotion mode of recruitment will be in respect of an officer recruited to that grade on the basis of length of service in the lower grade, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year for which the recruitment was made: Provided that where there is delay of more than ninety days in joining on appointment, such delay should not be due to any fault on the part of the officer. **Educational Qualifications:** **Essential:** Degree in Civil or Electrical Engineering from a recognised University along with ten years experience in construction and maintenance of residential or non-residential buildings including designing, estimating, contracts supervision etc. **Desirable:** Experience in maintenance or upkeep or air conditioning system, lifts or interior designing or architecture or electrical installations including working of sub stations.		

[F.No. 2(2)/2020-P.III]

RAJIV KUMAR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.